

## आतंकवाद-विरोधी गतिविधियाँ

डॉ. लाल बहादुर राम

एसोसिएट प्रोफेसर,

सैन्य विज्ञान विभाग, समता पी जी कॉलेज सादात, गाजीपुर

**सारांश**-आतंकवाद समकालीन विश्व में वैश्विक शांति, सुरक्षा और मानवाधिकारों के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। जहाँ एक ओर राज्य अपने नागरिकों को आतंकवादी खतरों से बचाने के लिए बाध्य हैं, वहीं दूसरी ओर आतंकवाद-रोधी उपाय कई बार मौलिक मानवाधिकारों और विधि के शासन के लिए चुनौती बन जाते हैं। यह शोध पत्र आतंकवाद, मानवाधिकार और आतंकवाद-रोधी रणनीतियों के बीच जटिल संबंधों का समालोचनात्मक अध्ययन करता है। अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढाँचों, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देशों के आधार पर, यह अध्ययन दर्शाता है कि आतंकवाद जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा जैसे मूलभूत अधिकारों को कैसे प्रभावित करता है। साथ ही, यह भी स्पष्ट करता है कि यदि आतंकवाद-रोधी उपायों को उचित रूप से लागू न किया जाए तो वे यातना, अवैध हिरासत, भेदभाव और नागरिक स्वतंत्रताओं के हनन का कारण बन सकते हैं।

यह शोध निष्कर्ष निकालता है कि प्रभावी आतंकवाद-रोधी रणनीतियाँ मानवाधिकारों के सम्मान पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं।

**मुख्य शब्द:** मानवाधिकार, आतंकवाद, आतंकवाद-रोधी उपाय, अंतरराष्ट्रीय कानून, सुरक्षा, नागरिक स्वतंत्रता, संयुक्त राष्ट्र

### परिचय (Introduction)

आतंकवाद एक वैश्विक समस्या बन चुका है जो विश्व के लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। यह न केवल जीवन की हानि और संपत्ति के विनाश का कारण बनता है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सामंजस्य के लिए भी खतरा उत्पन्न करता है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, आतंकवाद का मानवाधिकारों के उपभोग पर सीधा और गंभीर प्रभाव पड़ता है, विशेषकर जीवन, स्वतंत्रता और शारीरिक सुरक्षा के अधिकार पर। दूसरी ओर, राज्यों का दायित्व है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को आतंकवादी खतरों से सुरक्षा प्रदान करें। किन्तु इस दायित्व को निभाते समय कई सरकारें ऐसे उपाय अपनाती हैं जो मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं, जैसे—मनमानी गिरफ्तारी, यातना, निगरानी और असहमति का दमन।

इस शोध का मुख्य उद्देश्य है:

- आतंकवाद और मानवाधिकारों के संबंध का अध्ययन करना
- आतंकवाद-रोधी कानूनी ढाँचों का विश्लेषण करना
- मानवाधिकार संबंधी चुनौतियों की पहचान करना
- संतुलित एवं अधिकार-सम्मत नीतियों का सुझाव देना

### अवधारणात्मक ढाँचा (Conceptual Framework)

#### मानवाधिकारों की प्रकृति, क्षेत्र एवं विकास

मानवाधिकार केवल नैतिक सिद्धांत नहीं हैं, बल्कि यह एक विकसित अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था का हिस्सा हैं, जो व्यक्तियों की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं। ये अधिकार सार्वभौमिक (Universal), अविभाज्य (Indivisible) और परस्पर निर्भर (Interdependent) होते हैं। मानवाधिकारों का विकास ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए अत्याचारों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह सोचने पर मजबूर किया कि एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था बनाई जाए जो भविष्य में इस प्रकार के उल्लंघनों को रोक सके। इसी संदर्भ में 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) को अपनाया गया, जिसने मानवाधिकारों की आधुनिक अवधारणा को जन्म दिया। समकालीन युग में मानवाधिकार केवल राज्य और नागरिकों के बीच संबंध तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वैश्विक न्याय,

पर्यावरणीय सुरक्षा और डिजिटल अधिकारों तक विस्तारित हो चुके हैं। उदाहरण के लिए, इंटरनेट की स्वतंत्रता, डेटा सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक उपयोग को भी अब मानवाधिकारों के अंतर्गत देखा जा रहा है।

**आतंकवाद की अवधारणा और कानूनी समझ** -आतंकवाद की कोई सार्वभौमिक परिभाषा न होने के बावजूद, इसे सामान्यतः एक ऐसी हिंसात्मक गतिविधि के रूप में समझा जाता है जिसका उद्देश्य भय उत्पन्न करना और राजनीतिक या वैचारिक लक्ष्य प्राप्त करना होता है। कानूनी दृष्टि से, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संधियाँ आतंकवाद को विशिष्ट अपराधों के रूप में परिभाषित करती हैं—जैसे विमान अपहरण, बंधक बनाना, और आतंकवादी वित्तपोषण।

आतंकवाद की अस्पष्ट परिभाषा के कारण कई समस्याएँ उत्पन्न होती हैं:

- कुछ राज्य राजनीतिक विरोध को भी आतंकवाद के रूप में प्रस्तुत करते हैं

- मानवाधिकारों के उल्लंघन को वैध ठहराने के लिए आतंकवाद का उपयोग किया जाता है

- अंतरराष्ट्रीय सहयोग कमजोर होता है

इसलिए, आतंकवाद की स्पष्ट और संतुलित परिभाषा अत्यंत आवश्यक है ताकि कानून का दुरुपयोग न हो।

### आतंकवाद का मानवाधिकारों पर प्रभाव

**प्रत्यक्ष उल्लंघन**-आतंकवादी घटनाओं का सबसे स्पष्ट प्रभाव जीवन के अधिकार पर पड़ता है। निर्दोष नागरिकों की हत्या, बम विस्फोट, और आत्मघाती हमले सीधे तौर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

**मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक प्रभाव** -आतंकवाद केवल भौतिक क्षति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना को भी प्रभावित करता है। प्रभावित क्षेत्रों में लोग निरंतर भय और असुरक्षा की भावना में जीते हैं।

दीर्घकालिक प्रभावों में शामिल हैं:

- PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder)

- सामाजिक अविश्वास

- समुदायों के बीच विभाजन

**आर्थिक प्रभाव** -आतंकवाद आर्थिक विकास को बाधित करता है। पर्यटन, निवेश और व्यापार में गिरावट आती है। सरकारों को सुरक्षा पर अधिक खर्च करना पड़ता है, जिससे सामाजिक कल्याण योजनाओं पर असर पड़ता है।

**राजनीतिक एवं संस्थागत प्रभाव** -आतंकवाद लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करता है और कई बार सरकारों को कठोर और अधिनायकवादी नीतियाँ अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इससे नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग सकता है।

### आतंकवाद-रोधी उपायों में राज्य की जिम्मेदारी

राज्य का प्राथमिक कर्तव्य अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके लिए आवश्यक है:

- खुफिया तंत्र को मजबूत करना

- सुरक्षा एजेंसियों का समन्वय

- आतंकवादी नेटवर्क को समाप्त करना

यदि राज्य यह दायित्व निभाने में असफल रहता है, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है।

**कानूनी सीमाएँ**-आतंकवाद-रोधी उपायों को कानूनी ढाँचे के भीतर रहकर लागू करना आवश्यक है। यदि सुरक्षा के नाम पर अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।

**आतंकवाद-रोधी उपायों में मानवाधिकार चुनौतियाँ** -अत्यधिक बल का प्रयोग कई बार सुरक्षा बल आतंकवाद से निपटने के लिए अत्यधिक बल का उपयोग करते हैं, जिससे निर्दोष नागरिकों को नुकसान होता है। यह अंतरराष्ट्रीय कानून के "संतुलन और आवश्यकता" सिद्धांत का उल्लंघन है। यातना और जबरन पूछताछ यातना का उपयोग सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है, लेकिन यह मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और इससे प्राप्त जानकारी भी अक्सर अविश्वसनीय होती है। मनमानी गिरफ्तारी बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के लोगों को हिरासत में रखना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। भेदभाव और प्रोफाइलिंग आतंकवाद-रोधी नीतियाँ कई बार विशेष समुदायों को निशाना बनाती हैं, जिससे सामाजिक असमानता बढ़ती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सरकारें आलोचना को दबाने के लिए आतंकवाद विरोधी कानूनों का दुरुपयोग कर सकती हैं। निगरानी और निजता डिजिटल युग में निगरानी बढ़ गई है, जिससे व्यक्तिगत गोपनीयता खतरे में है।

**आतंकवादरोधी कानूनी ढाँचा-**

**अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून** -अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून आतंकवाद-रोधी उपायों के लिए एक मूलभूत ढाँचा प्रदान करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सुरक्षा के नाम पर मानवाधिकारों का हनन न हो। यह कानून राज्यों को कुछ परिस्थितियों में अधिकारों पर सीमित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है, किन्तु इसके लिए कठोर शर्तें निर्धारित की गई हैं।

इन शर्तों में मुख्यतः तीन सिद्धांत शामिल हैं:

**वैधता ) Legality** – कोई भी प्रतिबंध विधि द्वारा स्थापित होना चाहिए।

**आवश्यकता) Necessity** – प्रतिबंध केवल तभी लगाया जा सकता है जब वह वास्तविक और तात्कालिक खतरे से निपटने के लिए आवश्यक हो।

**अनुपातिकता) Proportionality** – अपनाए गए उपाय खतरे के अनुपात में होने चाहिए और अत्यधिक नहीं होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जिन्हें किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, जैसे—जीवन का अधिकार, यातना से मुक्ति का अधिकार, और दासता से स्वतंत्रता। आधुनिक समय में, डिजिटल निगरानी, साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण के संदर्भ में भी मानवाधिकार कानून का महत्व बढ़ गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि तकनीकी प्रगति के साथ-साथ नागरिक स्वतंत्रता सुरक्षित रहे।

**आपातकालीन स्थिति में अधिकारों का निलंबन** -आतंकवादी खतरों की गंभीरता को देखते हुए कई बार राज्य आपातकाल (Emergency) घोषित करते हैं, जिसके दौरान कुछ अधिकारों को अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है।

किन्तु अंतरराष्ट्रीय कानून इस प्रक्रिया को कठोर नियंत्रणों के अधीन रखता है:

- आपातकाल केवल **वास्तविक और असाधारण संकट** की स्थिति में ही घोषित किया जा सकता है।
- अधिकारों का निलंबन **अस्थायी और सीमित अवधि** के लिए होना चाहिए।
- यह उपाय **भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए।**

• कुछ मूलभूत अधिकार, जैसे—यातना से मुक्ति, जीवन का अधिकार—कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। यदि राज्य इन शर्तों का पालन नहीं करते, तो यह अधिकारों के दुरुपयोग और अधिनायकवाद की ओर ले जा सकता है। इसलिए, आपातकालीन शक्तियों के उपयोग पर न्यायिक और संसदीय निगरानी अत्यंत आवश्यक है।

**अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून (International Humanitarian Law)** -अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL) सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में लागू होता है और इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध के प्रभावों को सीमित करना तथा नागरिकों और गैर-लड़ाकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आतंकवाद-रोधी अभियानों में, विशेषकर जब वे सशस्त्र संघर्ष का रूप ले लेते हैं, IHL के सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं:

• **भेद (Distinction)** – नागरिकों और लड़ाकों के बीच स्पष्ट अंतर किया जाना चाहिए।

• **अनुपातिकता (Proportionality)** – सैन्य कार्रवाई से होने वाली क्षति अत्यधिक नहीं होनी चाहिए।

• **सावधानी (Precaution)** – नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

IHL यह भी स्पष्ट करता है कि:

• नागरिकों पर जानबूझकर हमला करना प्रतिबंधित है

• सामूहिक दंड (Collective Punishment) अवैध है

इस प्रकार, IHL आतंकवाद-रोधी अभियानों को मानवीय और कानूनी सीमाओं के भीतर रखने में सहायक होता है।

**अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कानून (International Criminal Law)**

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कानून उन अपराधों से संबंधित है जो संपूर्ण मानवता के विरुद्ध माने जाते हैं। कई आतंकवादी कृत्य, विशेष रूप से जब वे व्यापक और संगठित रूप में किए जाते हैं, **मानवता के विरुद्ध अपराध (Crimes Against Humanity)** या **युद्ध अपराध (War Crimes)** की श्रेणी में आ सकते हैं।

इस कानून के अंतर्गत:

• अपराधियों को अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों में दंडित किया जा सकता है

• व्यक्तिगत उत्तरदायित्व (Individual Criminal Responsibility) निर्धारित किया जाता है

• "आदेश का पालन" (Following Orders) को बचाव के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता

यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि गंभीर अपराध करने वाले व्यक्तियों को दंड से बचने का अवसर न मिले, चाहे वे किसी भी देश या पद से संबंधित हों।

**शरणार्थी कानून (Refugee Law)** -आतंकवाद और संघर्ष के कारण लाखों लोग अपने देश छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी कानून उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसका प्रमुख सिद्धांत है:

**Non-Refoulement (नॉन-रिफाउलमेंट)** – किसी भी व्यक्ति को उस देश में वापस नहीं भेजा जा सकता जहाँ उसकी जान या स्वतंत्रता को खतरा हो।

हालाँकि, सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए:

• यदि कोई व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो उसे संरक्षण से वंचित किया जा सकता है

• राज्यों को शरण प्रक्रिया में सुरक्षा जांच करने का अधिकार होता है इस प्रकार, शरणार्थी कानून मानवता और सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करता है।

आतंकवाद के पीड़ितों के अधिकार

आतंकवाद के पीड़ितों को अक्सर नीतियों में पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता, जबकि वे इस समस्या के सबसे अधिक प्रभावित पक्ष होते हैं। पीड़ितों के अधिकारों को निम्नलिखित आयामों में समझा जा सकता है:

**स्वास्थ्य और पुनर्वास**-पीड़ितों को त्वरित चिकित्सा सहायता, दीर्घकालिक उपचार और पुनर्वास सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिए।

**मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक सहयोग**-आतंकवाद के प्रभाव से उत्पन्न मानसिक आघात को दूर करने के लिए परामर्श और मनोचिकित्सा सेवाएँ आवश्यक हैं।

## आर्थिक सहायता और मुआवजा

सरकारों को पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि वे सामान्य जीवन में लौट सकें।

## न्याय तक पहुंच (Access to Justice)

पीड़ितों को न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेने, मुआवजा प्राप्त करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने का अधिकार होना चाहिए।

सम्मान और गरिमा

पीड़ितों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए और उनकी पहचान एवं गोपनीयता की रक्षा की जानी चाहिए।

## सुरक्षा और मानवाधिकारों में संतुलन (विस्तृत)

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी कार्य कानून के अनुसार होने चाहिए। आतंकवाद-रोधी उपाय भी विधि के शासन के अधीन होने चाहिए, ताकि मनमानी और शक्ति के दुरुपयोग को रोका जा सके।

## जवाबदेही (Accountability)

सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी बनाया जाना आवश्यक है। इसके लिए:

- स्वतंत्र न्यायपालिका
- मानवाधिकार आयोग
- संसदीय निगरानी

## महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

## संतुलन (Proportionality)

कोई भी सुरक्षा उपाय इतना कठोर नहीं होना चाहिए कि वह नागरिक स्वतंत्रता को पूरी तरह समाप्त कर दे। उपायों का उद्देश्य केवल खतरे को नियंत्रित करना होना चाहिए, न कि समाज पर अत्यधिक नियंत्रण स्थापित करना।

## मूल कारणों का समाधान (Root Causes) (विस्तार)

आतंकवाद केवल सुरक्षा उपायों से समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए उन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों को समझना आवश्यक है जो लोगों को उग्रवाद की ओर प्रेरित करते हैं।

मुख्य कारणों में शामिल हैं:

- गरीबी और बेरोजगारी
- शिक्षा की कमी
- सामाजिक और राजनीतिक बहिष्करण
- अन्याय और असमानता

इन कारणों को दूर किए बिना आतंकवाद का स्थायी समाधान संभव नहीं है।

## अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका

संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इनकी प्रमुख भूमिकाएँ हैं:

- **मानक निर्धारण (Standard Setting)** – अंतरराष्ट्रीय कानून और दिशा-निर्देश बनाना
- **निगरानी (Monitoring)** – सदस्य देशों द्वारा पालन की समीक्षा करना।
- **तकनीकी सहायता (Technical Assistance)** – देशों को क्षमता निर्माण में सहायता देना।
- **अंतरराष्ट्रीय सहयोग (Cooperation)** – सूचनाओं और संसाधनों का आदान-प्रदान।

ये संगठन वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

## समालोचनात्मक विश्लेषण

मानवाधिकार और आतंकवाद-रोधी उपायों के बीच संबंध अत्यंत जटिल और बहुआयामी है। अक्सर यह माना जाता है कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानवाधिकारों में कटौती आवश्यक है, किन्तु यह

धारणा पूरी तरह सही नहीं है।

अत्यधिक कठोर और दमनकारी नीतियाँ:

- समाज में असंतोष और अलगाव की भावना को बढ़ाती हैं।
- उग्रवाद और कट्टरता को प्रोत्साहित कर सकती हैं।
- सरकार की वैधता को कमजोर करती हैं।

इसके विपरीत, मानवाधिकार-आधारित दृष्टिकोण:

- जनता का विश्वास बढ़ाता है।
- कानून के शासन को मजबूत करता है।
- दीर्घकालिक शांति और स्थिरता सुनिश्चित करता है।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सुरक्षा और मानवाधिकार परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं। प्रभावी आतंकवाद-रोधी रणनीति वही है जो मानवाधिकारों को सम्मान करते हुए सुरक्षा सुनिश्चित करे।

**निष्कर्ष** - आतंकवाद और मानवाधिकारों के बीच संबंध आधुनिक वैश्विक परिदृश्य में अत्यंत जटिल और संवेदनशील विषय के रूप में उभरता है। यह स्पष्ट है कि आतंकवाद न केवल मानव जीवन और सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक स्थिरता और आर्थिक विकास को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसके साथ ही, आतंकवाद-रोधी उपायों के कार्यान्वयन में यह जोखिम बना रहता है कि कहीं राज्य स्वयं मानवाधिकारों का उल्लंघन न करने लगे। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि सुरक्षा और मानवाधिकार एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि परस्पर पूरक हैं। यदि आतंकवाद-रोधी नीतियाँ मानवाधिकारों के अनुरूप नहीं होतीं, तो वे दीर्घकालिक रूप से न केवल असफल सिद्ध होती हैं, बल्कि उग्रवाद और असंतोष को भी बढ़ावा देती हैं। अतः यह आवश्यक है कि सभी नीतियाँ विधि के शासन, पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित हों। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, मानवीय कानून और आपराधिक न्याय प्रणाली इस संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त, आतंकवाद के मूल कारणों—जैसे गरीबी, सामाजिक बहिष्करण, असमानता और राजनीतिक अस्थिरता—को दूर किए बिना इस समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना भी अत्यंत आवश्यक है, जिससे प्रभावित व्यक्तियों को न्याय, पुनर्वास और सम्मान प्राप्त हो सके। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से वैश्विक सहयोग को सुदृढ़ करना भी अनिवार्य है। अंततः, एक प्रभावी आतंकवाद-रोधी रणनीति वही है जो सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ मानवाधिकारों की रक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाए रखे। यही दृष्टिकोण दीर्घकालिक शांति, न्याय और वैश्विक स्थिरता की दिशा में सबसे उपयुक्त मार्ग प्रदान करता है।

\*\*\*\*\*

## संदर्भ सूची-

1. संयुक्त राष्ट्र, (1948) मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (Universal Declaration of Human Rights).
2. संयुक्त राष्ट्र, (2006) वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीति (UN Global Counter-Terrorism Strategy).
3. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय (OHCHR), (2008) मानवाधिकार, आतंकवाद और आतंकवाद-रोधी उपाय (Human Rights, Terrorism and Counter-Terrorism).
4. अंतरराष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार वाचा (ICCPR), 1966.
5. अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार वाचा (ICESCR), 1966.
6. जिनेवा कन्वेंशन, 1949 एवं उनके अतिरिक्त प्रोटोकॉल.
7. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, (2001 आतंकवाद-रोधी संकल्प संख्या 1373).
8. अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का रोम विधान (Rome Statute), 1998.
9. शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित सम्मेलन (Refugee Convention), 1951.
10. बासिली, एम., चेरीफ, (2008) अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कानून (International Criminal Law).
11. सॉल, बेन, (2014) अंतरराष्ट्रीय कानून और आतंकवाद पर शोध पुस्तिका (Research Handbook on International Law and Terrorism).
12. रिमड, एलेक्स पी., (2011) आतंकवाद अनुसंधान पर रूटलेज हैंडबुक (The Routledge Handbook of Terrorism Research).
13. एमनेस्टी इंटरनेशनल, आतंकवाद और मानवाधिकार पर विभिन्न रिपोर्ट्स.
14. ह्यूमन राइट्स वॉच, वार्षिक रिपोर्ट; मानवाधिकार और आतंकवाद.
15. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, भारत में आतंकवाद-रोधी नीतियों पर विभिन्न रिपोर्ट्स.